भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 515

03 दिसम्बर, 2025 के लिए प्रश्न

चीनी क्षेत्र से इथेनॉल

515. श्री टी.एम. सेल्वागणपति:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ ने मांग की है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि 50 प्रतिशत इथेनॉल चीनी क्षेत्र से प्राप्त किया जाए और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी आधारित फीडस्टॉक से केवल 289 करोड़ लीटर या कुल आवश्यकता का 28% इथेनॉल आवंटित किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि चीनी उद्योग ने प्रति वर्ष 650 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति करने की क्षमता के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीनी उद्योग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, चीनी निर्यात नीति की घोषणा करने और इथेनॉल खरीद मूल्य बढ़ाने की भी मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) सरकार को भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ (आईएसएमए) से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें आईएसएमए ने अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा क्षमता का सादृश्य और आर्थिक रूप से स्वीकार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गन्ना आधारित फीडस्टॉक के लिए कुल इथेनॉल खरीद का कम से कम 50% आरक्षित करने का अनुरोध किया है।

(ख) इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 के लिए कुल 1050 करोड़ लीटर आवंटन में से, 289 करोड़ लीटर गन्ना आधारित फीडस्टॉक के लिए आवंटित किया गया है।

(ग) गन्ना आधारित डिस्टलरियों की इथेनॉल उत्पादन क्षमता 838 करोड़ लीटर है। दिनांक 31.10.2025 तक नई गन्ना/अनाज आधारित डिस्टलरियों की स्थापना/मौजूदा डिस्टलरियों की क्षमता के विस्तार के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा 42,000 करोड़ रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न हितधारकों से न्यूनतम विक्रय मूल्य बढ़ाने, चीनी निर्यात नीति की घोषणा करने और इथेनॉल खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, सरकार ने दिनांक 14.11.2025 को चालू चीनी सत्र 2025-26 के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

****